(185)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर, कैम्प रीवा, म०प्र०

R. 5149-पी/15

श्री आर. के. देव पाण्डेय एड
द्वारा पेश। 6-11-15

6-11-15

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

सुमेश्वर पिता रंजीत लोहार , निवासी ग्राम मलगो, तहसील माड़ा, जिला सिंगरौली म०प्र० - --- निगरानीकर्ता

बनाम

1- रामसखा वैश्य तनय देवीशरण वैश्य निवासी ग्राम मलगो, तहसील माड़ा जिला सिंगरौली म०प्र०,

2- शासन म०प्र० - --- गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक वृत्त माड़ा, तहसील तहसील माड़ा, जिला सिंगरौली म०प्र० के प्रकरण क्र. 112/अ-12/2013-14, आदेश दिनांक 15.8.2014, अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959 ई.।

===================================

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है:-

1:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2:- यह कि भूमि नं0 532/1 रकबा 0.29 है. स्थित ग्राम मलगो, तहसील माड़ा, जिला सिंगरौली म०प्र० के भूमिस्वामी अनावेदक क्र0 1 है, तथा भूमि नं0 533 जिसके भूमिस्वामी आवेदक है।

3:- यह कि भूमि नं0 532/1 का जब सीमांकन अनावेदक क्र0 1 द्वारा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5149–दो/15 जिला–सिंगरौली

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–06–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री अनूप देव पाण्डे द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त माडा तहसील माडा जिला सिंगरौली के प्र0 क0 112/अ–12/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 15.8.14 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई, निगरानी के साथ आवेदक अधिवक्ता द्वारा धारा–5 म्याद अधिनियम का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है। 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी 1 वर्ष 3 माह के विलंब से प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा म्याद अधिनियम की धारा–5 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन में ऐसे कोई ठोस आधार नहीं दर्शाये गये हैं जिसमें विलंब मांफ किया जा सकें, समयावधि बाह्य प्रकरणों में दिन प्रतिदिन के विलंब का स्पष्ट एवं समाधानकारक कारण दर्शाया जाना चाहिये। आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक विलंब के संबंध में कोई ठोस व स्पष्ट कारण नहीं दर्शा सके है। अतः निगरानी अवधि बाह्य मान्य करते हुये अग्राह की जाती है। (एस0 एस0 अली) सदस्य	